झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) कोर्ट केस–12 / 2010 ..... / राँची, दिनांक : .....

तार्किक आदेश

श्री दीपक कुमार सेन, तत्कालीन रोकड़पाल सम्प्रति मृत के विरूद्ध वर्ष 2002–03 में सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल जमशेदपुर में पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 16 दिनांक– 03.01.2006 द्वारा असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम– 55 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में गठित प्रमुख आरोप निम्नवत् है :–

(i) श्री सेन के द्वारा कार्यपालक अभियंता की अनुमति के बिना मेसर्स आर०के०एस० बिल्डर्स, आदित्यपुर का बैंक गारंटी श्री पुष्कर अमरेश, कनीय लेखालिपिक को दिनांक– 15.01.2003 को प्राप्त करायी गई, जिसके फलस्वरूप बैंक गारंटी की वैधता की जाँच की प्रक्रिया बाधित हुई। उल्लेखनीय है कि उक्त बैंक गारंटी सत्यापन के बाद जाली पायी गई। इस संदर्भ में श्री सेन से विभागीय पत्रांक– 1769 दिनांक– 04.05.2005 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया। स्पष्टीकरण का उत्तर भी इनके द्वारा समर्पित नहीं किया गया है। उपर्युक्त वर्णित आरोप के लिए श्री सेन प्रथम दृष्टव्या दोषी पाये गये हैं।

2. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री दीपक कुमार सेन, तत्कालीन रोकड़पाल के बचाव बयान एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के प्रतिवेदन के क्रम में जाँचोपरान्त जाँच प्रतिवेदन निम्न निष्कर्ष के साथ समर्पित किया गया –

निष्कर्ष – " श्री सेन, रोकड़पाल के लिखित बयान एवं दिनांक– 13.04.2006 की कार्यवाही के दौरान क्रास एक्जामिनेशन से विदित है कि दिनांक– 01.08.2003 को मेसर्स अजय इंजिकॉन नामक कम्पनी ने एक आवेदन देकर मेसर्स आर०के०एस० बिल्डर्स की बैंक गारंटी उचित प्रपत्र में नहीं होने का उल्लेख किया था। कार्यपालक अभियंता द्वारा उक्त आवेदन पत्र लेखापाल एवं श्री पुष्कर अमरेश को संयुक्त रूप से पृष्ठांकित किया गया था तथा जाँच कर प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था।

उक्त पृष्ठांकन आदेश के आधार पर श्री सेन ने बैंक गारंटी जाँच हेतु श्री पुष्कर अमरेश को दिनांक– 15.01.2003 को दे दिया। कार्यपालक अभियंता द्वारा पृष्ठांकित मेसर्स अजय इंजिकॉन (प्रा०) लि० के पत्र की छायाप्रति श्री सेन के लिखित बचाव बयान के साथ संलग्न किया गया है। श्री सेन ने बैंक गारंटी श्री पुष्कर को देते समय उनसे प्राप्ति रसीद भी लिया था।

इस प्रकार बिना कार्यपालक अभियंता की अनुमति के बैंक गारंटी श्री पुष्कर अमरेश कनीय लेखा लिपिक को देने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

बैंक गारंटी की वैधता की जाँच के संबंध में कोई बाधा भी श्री सेन के कार्यकलापों से प्रमाणित नहीं है।

बैंक गारंटी के जाली होने में आरोपित कर्मचारी की कोई भूमिका प्रमाणित नहीं है। विभागीय पत्रांक– 1769 दिनांक– 04.05.2005 द्वारा पृच्छित स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं देने के संबंध में श्री सेन का कथन है कि विभागीय पत्रांक– 1769 दिनांक– 04.05.2005 उन्हें प्राप्त ही नहीं हुआ। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को इस संबंध में अनुरोध किया गया कि उक्त पत्र श्री सेन को प्राप्त कराये जाने का कोई

साक्ष्य हो तो उसे प्रस्तुत करें, परन्तु वे साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सके। इस प्रकार स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं देने का आरोप साक्ष्यहीन है। "

3. इस प्रकार रोकड़पाल स्व० सेन से संबंधित संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन दिनांक– 31.07.2006 में स्व० सेन को दोषी नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन के सम्यक् समीक्षोपरान्त विभाग द्वारा संचालन पदाधिकारी के मत से भिन्नता रखते हुए स्व० सेन के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये :–

(i) श्री दीपक कुमार सेन द्वारा श्री पुष्कर अमरेश लेखा लिपिक को बैंक गारंटी की मूल प्रति दिनांक– 15.01.2003 को बिना कार्यपालक अभियंता के किसी आदेश का दिया जाना गलत था।

(ii) श्री पुष्कर अमरेश द्वारा धोखा देकर बैंक गारंटी श्री सेन से प्राप्त की गई तो उन्हें तत्काल इसकी लिखित सूचना कार्यपालक अभियंता को देनी चाहिए थी, किन्तु उनके द्वारा ऐसा भी नहीं किया गया।

(iii) इन तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री सेन द्वारा श्री पुष्कर अमरेश को बैंक गारंटी बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के अपनी स्वेच्छा से दे दिया गया।

(iv) बैंक गारंटी को गलत ढंग से श्री पुष्कर अमरेश को देना पूरे प्रकरण में उनकी संलिप्ता को उजागार करती है।

(v) बैंक गारंटी के अभिरक्षक के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया।

4. उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री दीपक कुमार सेन, तत्कालीन रोकड़पाल (लेखालिपिक) सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, जमशेदपुर सम्प्रति मृत को विभागीय आदेश ज्ञापांक– 2955 दिनांक– 02.12.2006 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया –

(i) संचयात्मक प्रभाव से पाँच वेतन वृद्धि पर रोक।

(ii) प्रोन्नति की देय तिथि से पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक।

5. विभाग द्वारा संसूचित उक्त दण्डादेश के विरूद्ध स्व० सेन, लेखा लिपिक द्वारा सरकार के समक्ष अपील दायर किया गया। उक्त प्राप्त अपील अभ्यावेदन के सम्यक् समीक्षोपरान्त पूर्व में संसूचित दण्ड को संशोधित (कम करते हुए) कर निम्न दण्ड विभागीय ज्ञापांक– 1188 दिनांक– 22.04.2010 द्वारा देने का निर्णय लिया गया –

(i) संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक।

(ii) प्रोन्नति की देय तिथि से तीन वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक।

6. उक्त दोनों दण्डादेश ज्ञापांक– 2955 दिनांक– 02.12.2006 एवं ज्ञापांक– 1188 दिनांक– 22.04.2010 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में याचिका सं०– W.P (S) No. - 3015/2010 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक– 24.01.2019 को न्याय निर्णय पारित किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है :–

It has been argued by the learned counsel for the petitioner that Enquiry Officer has given finding that the allegation leveled against the petitioner stands not proved.

In spite of this finding of fact, order of punishment has been passed by recording the finding that the allegation leveled against the petitioner stands proved.

Thus, the impugned order suffers from non application of mind and further error of record. Further, the finding recorded by the Enquiry Officer is only recommendation and not

P.T.O

binding upon the disciplinary authority and if disciplinary authority differs with the finding, he has to give notice to the petitioner.

In the present case, it has wrongly been recorded by the disciplinary authority that finding stands proved in departmental proceeding. Accordingly, the impugned order contained Memo No. 2955 dated 02.12.2006 and the appellate order contained Memo No. 1188 dated 22.04.2010 are hereby quashed for the reason that the same are based upon the wrong facts.

With the aforesaid observation and directions, the present writ petition is, hereby allowed."

7. उक्त पारित न्याय निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में उक्त वर्णित स्थिति में LPA दायर करने हेतु महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची का परामर्श लिया गया, जिसमें उनके द्वारा परामर्श दिया गया कि –

"Perused the Opinion File No. UOO 11/2019/Department File No. 08/ज०स०(नि०) Court Case No. 12/2010. On perusel of the entire materials on record and in particular the note placed at pages 15 to 17/N, I opine that there is no substance to prefer appeal against the judgement passed by the Hon'be single Judge dated 24.01.2019 pussed in W.P(S) No. - 3015/2010. "

Opinion solicited is answered accordingly.

8. उक्त वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक– 24.01.2019 को पारित न्यायनिर्णय एवं महाधिवक्ता झारखण्ड, राँची द्वारा दिया गया उक्त परामर्श के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है :–

(i) विभागीय आदेश सं०– 2955 दिनांक– 02.12.2006 एवं ज्ञापांक– 1188 दिनांक– 22.04.2010 को निरस्त किया जाता है।

9. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक ..... /राँची, दिनांक .....

प्रतिलिपि : महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची/जिला कोषागार, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, जमशेदपुर /श्रीमती अपर्णा सेन, पत्नी – स्व० दीपक कुमार सेन, मकान सं०–745, डिमना बस्ती, पो०–एम०जी०एम०कॉलेज, जमशेदपुर –831018 जिला–पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 3491 /राँची, दिनांक 03/7/19

प्रतिलिपि : अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–04,(क्षेत्रीय स्थापना) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/7/19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव